

संलग्नक 1.4

संलग्नक 1.7



कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल

पर्यावरण परिसर, ई.5 अरेशा कालोनी, भोपाल



प्रमाण - पत्र संख्या BPLLU390

दिनांक 23/09/2013

प्रति,

अर्चना मोहले


ई-18 शंकर नगर भोपाल

भोपाल

विषय भोपाल विकास योजना 2005 में भूमि उपयोग की जानकारी ।

सन्दर्भ आपका आवेदन पत्र दिनांक 18/09/2013

शासन द्वारा अनुमोदित विकास योजनानुसार व्यापक तौर पर आवेदित क्षेत्र का प्रस्तावित भूमि उपयोग निम्नानुसार है :-



| ग्राम  | खसरा क्रमांक | भूमि उपयोग        |
|--------|--------------|-------------------|
| बर्राई | 336/1        | प्रस्तावित आवासीय |

1. भोपाल विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं । प्रस्तावित भूमि उपयोग विकास योजना प्रस्ताव का समग्र रूप से खसरा मानचित्र पर अंकन होने अथवा कियान्वयन के समय एवं परिक्षेत्रिक योजना अथवा पुनरीक्षित विकास योजना प्रभावशील होने के पश्चात उक्त भूमि अथवा उसके कुछ भाग का भूमि उपयोग अन्य भूमि उपयोग में भी आ सकती है ।
2. विकास योजना के अनुरूप उपयोग की जानकारी प्रदान करने से तात्पर्य अनुज्ञा या अनुमति दिया जाना नहीं है जिसके लिये मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका ( कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्त )नियम,1998 एवं अन्य संबधित अधिनियम व नियम के अन्तर्गत अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
3. उक्त भूमि उपयोग की जानकारी में अन्य प्रासंगिक उपयोग भी सम्मिलित है जिस का विकास अनुज्ञा देते समय निर्धारण हो सकेगा ।
4. आवेदक द्वारा अक्स बटान प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण पूरे खसरे का उपयोग दिया जा रहा है ।
5. उपरोक्त जानकारी के आधार पर मध्य प्रदेश भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के अंतर्गत व्यपवर्तन की कार्य वाही नहीं की जावे ।

PHOTO COPY ATTESTED

RAJNI TELANG

NOTARY & ADVOCATE

Sadhana 3, Malviya Nagar, Bhopal

17 DEC 2013

सहायक संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भोपाल

Digitally signed by SHOBHA VERMA

Date: 2013.09.23 16:29:16 IST